Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पासपोर्ट सेवा केन्द्र ऑर्बिट मॉल जयपुर में लम्बित कार्य को करवाने हेतु दलाल 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *14 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर–प्रथम इकाई द्वारा आज जयपुर शहर में कार्यवाही करते हुये पासपोर्ट सेवा केन्द्र ऑर्बिट मॉल जयपुर में लम्बित कार्य को करवाने हेतु दलाल ईकराम खान को परिवादी से 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर–प्रथम को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे पुत्र के पासपोर्ट में त्रुटि सुधार के ढाई वर्ष से लम्बित मामले को करवाने की एवज में दलाल ईकराम खान द्वारा रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर नगर–प्रथम इकाई के **अति0 पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया, दौराने सत्यापन आरोपी ने 45 हजार रूपये की मांग करते हुए 5 हजार रूपये की राशि प्राप्त की तथा 5 हजार रूपये की राशि जरिये पेटीएम भी वसूली। इस पर आज **श्री श्रवण कुमार** पुलिस निरीक्षक द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल ईकराम खान पुत्र सुभान खान जाति पठान मुसलमान निवासी बी–56 नटराज नगर इमली फाटक लाल कोठी जयपुर को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ईकराम के पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों से सम्पर्कों के संबंध में जांच जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।